



राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(गुरप-2) विभाग

IFMS ID : 4257

क्रमांक: - 22(01)/M&H/2/2023

जयपुर, दिनांक - 07/03/2024

(स्वीकृति संख्या : 46 / 2023-24)

विषय :- उप जिला चिकित्सालय सांचोर, जिला जालौर के भवन निर्माण कार्य हेतु " राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी " के पी.डी. खाते में राशि हस्तांतरण की स्वीकृति।

प्रसंग :- आईडी संख्या 152400400 दिनांक 29.02.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उप जिला चिकित्सालय सांचोर, जिला जालौर के भवन निर्माण कार्य हेतु बजट मद 4210-01-110-07-01 वृहद् निर्माण कार्य अन्तर्गत संशोधित अनुमान वर्ष 2023-24 में उपलब्ध बजट प्रावधान में से राशि रू. 50.00 लाख (अक्षरे राशि रू. पचास लाख मात्र) " राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी " के पी.डी. खाते में हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त राशि का उपयोग निर्धारित प्रयोजनार्थ, योजना की गाईडलाईन अनुसार तथा तत्संबंधी नियमों एवं नियत प्रक्रिया की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने हुए किया जावें:-

राशि (रुपये में)

| मांग संख्या | बजट मद जिससे राशि प्रभारित की जावेगी (डेबिट) | राशि | बजट मद/निजी निक्षेप खाता जिसमें राशि जमा की जावेगी (क्रेडिट) | राशि |
|-------------|--|------------|--|------------|
| 27 | 4210-01-110-(07)-[01]-17-State Fund | 5,00,00,00 | पी डी खाता संख्या : 4008 - Rajasthan State Health Society | 5,00,00,00 |
| | कुल योग | 5,00,00,00 | कुल योग | 5,00,00,00 |

यह स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन होगी:-

- स्वीकृत राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम / निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
- निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ही किया जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।
- व्यय की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार महालेखाकार / स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को प्रस्तुत किया जावे।
- निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावे। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व राजकोष में जमा करवाई जावे।
- व्यय के लेखे महालेखाकार एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिए सदैव खुले रहेंगे।

यह स्वीकृति वित्त वित्त (व्यय) विभाग-1 विभाग की आई. डी. संख्या 152400400 दिनांक 29/02/2024 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

भवदीय,

RajKaj Ref
6016228

Signature invalid
Digital Signature by
NISHA
Date: 07/03/2024

(निशा मीना)
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: - 22(01)/M&H/2/2023

जयपुर, दिनांक - 07/03/2024



राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(गुरप-2) विभाग

IFMS ID : 4257

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 2 प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा - प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
- 3 शासन सचिव, चिकित्सा विभाग, जयपुर।
- 4 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग
- 5 संयुक्त शासन सचिव, वित्त व्यय 1 विभाग, शासन सचिवालय
- 6 निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर
- 7 कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
- 8 रक्षित प्रभावली।

(निशा मीना)
संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref
6016228



राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(गुरप-2) विभाग

IFMS ID : 4257

IFMS ID : 4257

परिशिष्ट

राशि (रुपये में)

| क्र. स. | Ref. No. | निजी निक्षेप खाते का नाम / कोष कार्यालय / बजट शीर्ष | राशि |
|---------|----------|---|------------|
| | | 4008 - Rajasthan State Health Society | |
| | | 2100 - जयपुर(सचिवालय) | |
| 1 | 37671 | 4210-01-110-(07)-[01]-17 (राज्य निधि) | 5,00,00,00 |

Signature invalid

Digital Signature by
NISHA
Date: 16/07/2024
16:00:00

1 37671 4210-01-110-(07)-[01]-17 (राज्य निधि) 5,00,00,00

RajKaj Ref
6016228

राजस्थान सरकार
निदेशालय ,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,राज.जयपुर
क्रमांक:एफ-624 / योजना / निर्माण / 2024 / 132 दिनांक:- 14-3-24

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजि सचिव,संयुक्त शासन सचिव(ग्रुप-2),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,मुख्यालय।
3. मुख्य अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,मुख्यालय को भेजकर लेख है कि प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति संख्या 46/2023-24 दिनांक 07.03.2024 के द्वारा उप जिला चिकित्सालय सांचौर जिला जालौर के भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 50.00 लाख की वित्तीय वर्ष 2023-24 के राज्यनिधि बजट मद 4210-01-110-07-01 के उपमद 17 वृहद निर्माण कार्य में उपलब्ध प्रावधान में से राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी के पीडी खाते में हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति जारी की गई है। उक्त स्वीकृति के तहत निर्माण कार्य की निविदा जारी करवाई जाकर प्रगति सूचना से अवगत करवाना सुनिश्चित करें।
4. उप निदेशक(सांख्यिकी) योजना अनुभाग मुख्यालय।
5. प्रभारी सर्वर रुम,विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है
6. आदेश /रक्षित पत्रावली।

निदेशक(जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
जयपुर राजस्थान

RajKaj Ref
6066857

Document certified by RAVI PRAKASH
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>.

Digitally Signed by RAVI
PARKASH MATHUR
Designation: Director
Date :12-03-2024 02:05:49